

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, केपिटल काम्पलेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2519 / एफ-2-120 / 31 / एस-2 / 2012, \ नया रायपुर, दिनांक 17 / 04 / 2018
प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- बस्तर जिले के विकासखण्ड-दरभा की कांगेर नदी पर डिलमिली-छेपरागुड़ा व्यपवर्तन योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-814 / RAA / बो.प्र. / 2016 / 1755, रायपुर, दिनांक 31.01.2018.

राज्य शासन एतद् द्वारा बस्तर जिले के विकासखण्ड-दरभा की कांगेर नदी पर डिलमिली-छेपरागुड़ा व्यपवर्तन योजना हेतु लागत राशि रु. 516.92 लाख (रुपये पाँच करोड़, सोलह लाख बयान्चे हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 160 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखाशीर्ष-4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102}-भूतल जल, (5059) एनीकट/स्टापडेम का निर्माण, #97-निर्माण कार्य 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 58 / ब-2 / सी.एन.-31-01837, दिनांक 12.04.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


10/3/18
(याकुब खेस)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पृ.क्रमांक 2520/एफ-2-120/31/एस-2/2012,

नया रायपुर, दिनांक 17/04/2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर।
4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नया रायपुर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर, जिला-जगदलपुर।
14. प्रभारी बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर।
15. कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर, जिला-बस्तर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. आदेश पंजी।



संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर